www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 23.02.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों एवं एस.ई.सी.आर. के कर्मी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 50,000 रू. की घूसखोरी में नरेला पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में कार्यरत सहायक उप-निरीक्षक एवं सिपाही को गिरफ्तार किया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत उक्त पुलिस स्टेशन के सिपाही व सहायक उप-निरीक्षक के विरूद्ध मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने नरेला स्थित उसके भवन के कथित अवैध निर्माण को न रोकने हेतु नरेला पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के एस.एच.ओ. की ओर से 1,50,000 रू. घूस माँगी एवं उन्हे घूस के आंशिक भुगतान के तौर पर 50,000 रू. के भुगतान का निर्देश दिया।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं सिपाही को शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। बाद में, ए.एस.आई. को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवास पर तलाशी की गई।

गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, रोहणी, दिल्ली के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

एक अन्य मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 28,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर एस.ई.सी.आर., बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के वरिष्ठ डी.पी.ओ. के कार्यालय में कार्यरत लिपिक (बिल अनुभाग) को गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत लिपिक (बिल अनुभाग) के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के लम्बित वेतन की बकाया राशि एवं भत्तों को जारी करने के लिए 30,000 रू. की घूस की माँग की तथा 28,000 रू. स्वीकार करने को राज़ी हुआ। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को 28,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष पेश किया गया और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****